

L.1.18

कोई इपास्थित नहीं। वादी व उनके अभिभाषक
को कई बार आवाजे लगवायी गयी। वर-
वार आवाजे लगवाये जाने के बावजूद भी
वादी व उनके अभिभाषक इपास्थित नहीं
होये। अतः दावा वादी अदम दायरी व
अदम धरवी में स्वीकृत किया जाता है।
पत्रावली के माध्यम से अदम दायरी व
दफ्तर है।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)